

# कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: एफ-३७(३) / निवेदिता / कीपीसी / २०१६ / १३८२  
-कार्यवाही विवरण:-

दिनांक: ०४/११/१६

विषय:— भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 29.09.2016 को अपराह्न 3.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण सदरस्थों का विवरण परिशिष्ट—“१” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	01	—	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 22.09.2016 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 22.09.2016 को सम्पन्न हुई, पर संतोष व्यक्त किया गया।
2.	02	दक्षिण	श्री अभिषेक सिंह, भूखण्ड-खसरा नं. 550/1, 550/2, व 550/3 क्षेत्रफल- 23784.27 वर्गमीटर, ग्राम धिनाणा की ढापी, जोधपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	<p>प्रश्नगत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विर्माण किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि, प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्रों का अनुमोदन दिनांक 12.10.2012 को किया गया एवं दिनांक 23.11.2012 (15 मीटर तक) व दिनांक 09.01.2015 (15 से 30 मीटर) की स्वीकृति जारी की गई थी।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 40 मीटर उचाई तक भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2015 को प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत रथल का जोविप्रा के अधिकारियों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.09.2016 अनुसार मूल भूखण्ड पर EWS/LIG फ्लैट्स अनुमोदित किये गये थे, उनमें EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण मौके पर प्रार्थी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।</p> <p>नगरीय विकास, विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 3(77)नविवि/३/ 2010 पार्ट-IV दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6 जून 2015 के बिन्दु संख्या ३ अनुसार शास्त्रित लिये जाने का निर्णय लिया गया।</li> <li>EWS/LIG हेतु आरक्षित एफ.ए.आर. के समानुपात में एफ.ए.आर. मूल परियोजना के अन्य आवासों के रूप में लब तक रहन रखा जावेगा, जब तक EWS/LIG आवासीय इकाईयों का कब्जा प्राधिकरण को नहीं सौंपा जावें।</li> </ol> <p>राशि जमा होने के पश्चात प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।</p>
3.	03	पश्चिम	श्री अभिषेक सिंह, भूखण्ड-प्राधिकरण की रामराज नगर आवासीय योजना में ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल - 20235.88 वर्गमीटर, ग्राम चौखा, जोधपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	<p>प्रश्नगत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विर्माण किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि, प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्रों का प्रथम अनुमोदन दिनांक 06.01.2012 को किया गया था।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 40 मीटर उचाई तक भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2015 को प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत रथल का जोविप्रा के कनिष्ठ अभियंता/सहायक नगर नियोजक की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.09.2016 अनुसार मूल भूखण्ड पर 40 EWS /40 LIG फ्लैट्स अनुमोदित किये गये थे, जिनमें भवन का ढांचा (R.C.C.Structure) निर्मित किया जा चुका है।</p> <p>चूंकि मौके पर EWS/LIG फ्लैट्स के ढांचे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः उपरोक्त के क्रम में प्रार्थी को EWS/LIG आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा दिये जाने हेतु एक माह की समय सीमा दिये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>एक माह में EWS/LIG फ्लैट्स का कब्जा आवश्यक रूप से ले लिया जावें।</p>

2

1

4.	04	दक्षिण	<p>श्री नरसिंह कृषि फार्म जरिये श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल, राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 775/105 पार्ट के पुनर्गठित भूखण्ड सं. 1 से 6 क्षेत्रफल 3047.67 वर्गमीटर पर आवासीय उपयोग के अनुमोदित भवन मानचित्र के नियमितिकरण करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>संशोधित भवन मानचित्र नियमन हेतु एजेण्डा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित भवन मानचित्रों को आधार मानकर संशोधित भवन मानचित्रों पर विचार किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र (भय नियमितिकरण) निम्नानुकूल शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रश्नगत प्रकरण में श्री हरिसिंह टाक व अन्य ने दिनांक 13.07.2016 को एक शिकायत की है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी श्री नरसिंह कृषि फार्म जरिये श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल को दिनांक 20.09.2016 अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया। प्रार्थी ने दिनांक 20.09.2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया, शिकायत व उत्तर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। आयोजना प्रकोष्ठ के तीनों सहायक नगर नियोजक, निदेशक आयोजना व अधिशासी अभियन्ता (विधुत) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर H.T.Line के मध्य रेखा से सुरक्षात्मक दूरी 14.00 मीटर मीढ़े पर है। अतः शिकायत को नत्थीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।</li> <li>प्राधिकरण में अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 30.05.2016 को रांयुक्त मौका निरिक्षण किया गया। मौका निरिक्षण रिपोर्ट पत्रावली में पृष्ठ सं. 31 पर संलग्न है। मॉडल नगरिय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधिया, 2014 के अनुसार निम्न का नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया— <ul style="list-style-type: none"> <li>a. सेटबैक (अग्रभाग) -0.60 मीटर</li> <li>b. आच्छादित क्षेत्र -1.45 प्रतिशत (#)</li> <li>c. ऊंचाई- 1.55 मीटर</li> <li>d. एफ.ए.आर. --187.22 वर्गमीटर</li> <li>e. पार्किंग- 5.27 ई.सी.यू</li> <li>f. पेड़-31 पेड़</li> </ul> <p>(#) मॉडल नगरिय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधिया, 2014 के विन्दु सं. (xi) के अनुसार सैट बैक नियमन के कारण आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि होने पर सैट बैक नियमन राशि एवं आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु देय नियमन राशि में से किसी एक मंद जिसमें अधिक राशि बनती है, वह देय होगी।</p> </li> <li>टंकण सहवन से एजेण्डा के विन्दु सं. 5 पार्किंग में विकल्प 2 के स्थान पर 1 पदा जावें।</li> <li>प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने, समरत वाहित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समरत संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</li> </ol>
5.	05	दक्षिण	<p>श्री प्रफुल गहलोत पुत्र श्री हरिसिंह गहलोत, राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 1878/1475 एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 1270.06 वर्गमीटर /1062.38 वर्गमीटर पर आवासीय उपयोग के अनुमोदित भवन मानचित्र के नियमितिकरण करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>संशोधित भवन मानचित्र नियमन हेतु एजेण्डा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित भवन मानचित्रों को आधार मानकर संशोधित भवन मानचित्रों पर विचार किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के संशोधित भवन मानचित्र (भय नियमितिकरण) निम्नानुकूल शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रश्नगत प्रकरण में मॉडल नगरिय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधिया, 2014 के अनुसार नियमितिकरण सीमा से बाहर</li> <li>आच्छादित क्षेत्र —(अनुमोदित सेटबैक से बाहर) नियमितिकरण सीमा से बाहर</li> <li>पार्किंग— (7 ई.सी.यू.) नियमितिकरण सीमा से बाहर</li> <li>अनुमोदित भवन मानचित्रों में दो सीढ़ियों (staircase) का प्रावधान किया गया था, जबकी प्रस्तुत भवन मानचित्रों में केवल एक सीढ़ी (staircase) का प्रावधान किया गया है।</li> </ol>

				<p>उक्त भवन मानदण्ड, मॉडल नगरिय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधिया, 2014 की नियमितिकरण सीमा से बाहर है। अतः प्राधिकरण स्तर पर नियमन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरिय विकास विभाग के पत्र दिनांक 08.07.2016 के सम्बन्ध में प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी मय पत्रावली भिजवाई जाने का निर्णय लिया गया।</p>
6.	06	दक्षिण	श्री सौरभ, श्री मयूर व श्री सुशान्त बाहेती राजस्व ग्राम पाल के खसरा नं. 229 भूखण्ड क्षेत्रफल 8210.93 वर्गगज/ 6867.88 वर्गमीटर पर हॉटल उपयोग के अनुमोदित भवन मानचित्र के नियमितिकरण करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>संशोधित भवन मानचित्र नियमन हेतु एजेंडा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तुत प्रकरण में मॉडल नगरिय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधिया, 2014 के अनुसार-</li> <p>आच्छादित क्षेत्र -(8.00 प्रतिशत) नियमितिकरण सीमा से बाहर परन्तु जोधपुर भवन विनियम-2013 के मानदण्ड अनुसार अनुज्ञेय सीमा 35 प्रतिशत के अर्त्तगत अनुज्ञेय है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <li>प्रकरण में संलग्न पत्रावली वाद संख्या Civil Writ Partitian/Civil Writ/8926/2016 के कम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके कम में अधिवक्ता श्री मनोज भंडारी द्वारा दिनांक 19.08.2016 को पत्र द्वारा निस्तारण हेतु अवगत कराया गया।</li> <li>प्राप्त कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण पूर्व में बायर से डिमार्केशन किया हुआ है तथा भुजा 270 फीट के स्थान पर 286 फीट 6 इंच है। य दक्षिण में बाउली वॉल नहीं बनी है, अतः पार्थी से अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर Boundary wall बनवाकर भूखण्ड का सीमांकन (Demarcation) करवाया जावे।</li> <li>अनुमोदित मानचित्र अनुसार संपर्क सडक के सहारे सहारे 75 फीट प्लानटेशन है। अनुमोदित भवन मानचित्रों में प्लानटेशन में पार्किंग नहीं दर्शायी गयी है। परन्तु Existing भवन मानचित्रों में पार्किंग दर्शायी गयी है। जोधपुर विनियम 2013 के बिन्दु संख्या विशेष प्रावधान के उपबिन्दु 15 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व अन्य मार्गों पर ग्रीन बफर हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकतम 33 प्रतिशत क्षेत्र सडक, पार्किंग आदि हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। ग्रीन बफर में विकासकर्ता को साधन वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जाना होगा।</li> <li>अवैदित भूमि के पूर्व व पश्चिम भाग में अनुमोदित मानचित्र एवं Existing मानचित्र में भिन्नता है एवं Centre में पार्किंग दर्शायी गयी है। जो मौके पर Open Landscape है। अतः संशोधित मानचित्र लिये जाने का निर्णय लिया गया।</li> </ol> <p>अतः प्रकरण में उक्त कमियों की पूर्ति करवाते हुए प्रार्थी से संशोधित मानचित्र लिये जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता को मय एजेंडा, कार्यवाही विवरण व प्रार्थी के प्रेषित पत्र के साथ सुचित किया जावे।</p> <p>एजेंडा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर. जारी किये जावे।</li> </ol>
7.	07	दक्षिण	श्रीमति दुर्गा देवी पत्नि श्री मुरली मनोहर प्रजापत राजस्व ग्राम बासनी के खसरा नम्बर 37/1 भूखण्ड संख्या 16 क्षेत्रफल (136.81 वर्ग गज) 114.68 वर्गमीटर पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>एजेंडा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर. जारी किये जावे।</li> </ol>
8.	08	दक्षिण	श्रीमति पूनम खेतावत पत्नि श्री राजेश खेतावत राजस्व ग्राम पाल जोधपुर (जोधपुर मोर्टस और वार्कशॉप समिति) खसरा	<p>एजेंडा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में निम्न निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2016 के अनुसार भूखण्ड सं. 101 व 102 पर संयुक्त भवन (भूतल +2 मंजिल) निर्मित है।</li> </ol>

			नम्बर 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5, 647/277 भूखण्ड संख्या 102 क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज (74.32 वर्गमीटर) पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	अतः भूखण्ड सं. 101 व 102 के पुनर्गठन कराने एवं नियमितिकरण हेतु प्रार्थी को सुचित किया जावें।
9.	09	दक्षिण	श्रीमति दीपा खेतावत पत्नि श्री मुकेश खेतावत, राजस्व ग्राम पाल जोधपुर (जोधपुर मोटर्स और वार्कशॉप समिति) खसरा नम्बर 274/1, 274/2, 274/3, 276/1, 276/2, 277, 278, 286/4, 286/5, 647/277 भूखण्ड संख्या 101 क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज (74.32 वर्गमीटर)। पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	एजेंडा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में निम्न निर्णय लिया गया:- 1. वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2016 के अनुसार भूखण्ड सं. 101 व 102 पर संयुक्त भवन (भूतल +2 मंजिल) निर्मित है। अतः भूखण्ड सं. 101 व 102 के पुनर्गठन कराने एवं नियमितिकरण हेतु प्रार्थी को सुचित किया जावें।
10.	10	पश्चिम	श्रीमति शशिकला पत्नि श्री आनन्द कुमार मोटानी, राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 702, 703, 704 व 727 भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज 18.58 वर्गमीटर पर व्यावसायिक उपयोग के भवन गानचित्र अनुमोदन बाबत।	एजेंडा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र निर्माणकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 28.09.2016 के अनुसार भूखण्ड पर भवन (भूतल) निर्मित है, अतः प्रकरण में बिना स्वीकृती निर्माण हेतु शास्ति ली जानी होगी। 2. जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
11.	11	पश्चिम	श्री विजयसिंह भाटी पुत्र श्री देवीलाल भाटी राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 16, 17, 18 भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज (18.58 वर्गमीटर) पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	एजेंडा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
12.	12	पश्चिम	श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री देवीलाल जी राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 16, 17, 18 भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज (18.58 वर्गमीटर) पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
13.	13	पश्चिम	श्री मति शमशाद पत्नी श्री आशिक मोहम्मद राजस्व ग्राम/ योजना पत्रकार कॉलोनी के खसरा संख्या 720, 703, 704, 727 के भूखण्ड सं. 07 व्यावसायिक क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज (18.58 वर्गमीटर) पर व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यावसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

89

(हनुमानगढ़ ढाका)  
उपायुक्त पूर्व  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

(मुकेश मित्राल)  
चिदेशक (आयुक्त)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)  
उपायुक्त पश्चिम  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

30

(अरुण चुरोहत)  
सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

66

(दलवीर सिंह ढड्डा)  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

(के.सी.भट्टा)  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

क्रमांक: एफ-३७(३) / निदेशायोग / बीपीसी / २०१८ / १८८३ — १३९१

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी श्री देवेन्द्र गोहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करे।

दिनांक:- ०७/११/१६

(मुकेश मित्राल)  
चिदेशक (आयुक्त) एवं  
सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण ०७/११/१६  
जोधपुर